तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अधिवक्ता ने बहस हेतु समय चाहा गया उभयपक्ष अधिवक्ता को दिनांक 12-1-2023 को प्रातः 10.30 बजे आवश्यक रूप से बहस हेतु उपस्थित होने पाबन्द किया पत्रावली वास्ते बहस प्रा० पत्र O-7 R-11 CPC आगामी दिनांक 12-1-23 को पेश हो
12-1-23	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित प्रार्थना-पत्र आदेश-7 नियम-11 सीपीसी पर बहस उभयपक्ष सुनी गई वास्ते आदेश पत्रावली आगामी दिनांक 19-1-23 को पेश हो।
19-1-23	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थना पत्र O-7 R-11 CPC स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया वादी का वाद विधि विरुद्ध होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

72/दावा/2022
दायरा दिनांक 29.06.2022

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा (RAS)

बउनवान

1. दानिश हनिफी पुत्र जफर मोहम्मद जाति मुस्लिम निवासी 11– बी गुलाब बाग बजरंग नगर कोटा जिला कोटा राज0

–वादी

बनाम

1. नजर मोहम्मद पुत्र रहीम बक्ष जाति मुस्लिम निवासी लाल पुलिया के पास स्टेशन रोड लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
2. उपपंजीयक कार्यालय लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
4. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर जिला बून्दी राज0
5. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

–प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 175, 176, 177, 178 आर0टी0एक्ट
निर्णय आदेश–7, नियम–11 सीपीसी

उपस्थित–1.श्री अब्दुल सत्तार एडवोकेट– वादी
2.श्री प्रकाश चन्द भंडारी एडवोकेट प्रति0सं.1
3. श्री राजेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट प्रति0सं.1
4. श्री बालालाल बीडा एडवोकेट–प्रति0सं.5

निर्णय **दिनांक 19.01.2023**

प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश–7 नियम–11 के तहत इस प्रकार का प्रार्थना पत्र पेश किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के तहत वाद प्रस्तुत करने का अधिकार तहसीलदार को ही है। वाद–पत्र में किसी प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

का वाद कारण उत्पन्न नहीं है, न ही आदेश–7 नियम–11 के तहत वादी ने वाद का मूल्यांकन किया है। विवादित आराजी का खातेदार प्रतिवादी सं0 1 नजर मोहम्मद के वादी ने अपने अधिकारों के बाबत घोषणा के संबंध में कोई दावा नहीं किया है। मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पति का कोई वजूद नहीं है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार नजर मोहम्मद के अन्य वारिसान पुत्र–पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया है। इस कारण भी वाद चलने योग्य नहीं है। विवादित आराजी प्रतिवादी सं0 1 द्वारा क्रय करके खातेदारी अधिकार प्राप्त किये थे जिसके संबंध में वादी को वाद लाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रार्थना–पत्र का जवाब अप्रार्थी (वादी) ने प्रस्तुत किया जिसके अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 (4) के परन्तुक में सह अंकित है कि यदि केवल तहसीलदार के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो न्याय–शुल्क देय नहीं होगा। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 175 के तहत वाद प्रस्तुति की कार्यवाही सिर्फ तहसीलदार कर सकता है। वाद कारण का वाद–पत्र में स्पष्ट अंकन है एवं आराजी के आवासीय भूखण्ड विक्रय करने के बाबत विक्रय–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। वर्णित वाद का मूल्यांकन भी वाद–पत्र में किया गया है। यदि कमी न्याय–शुल्क हो तो भी जमा कराने का अवसर दिया जाता है। धारा 175 के वाद में धोषणा के अनुतोष की कोई आवश्यकता नहीं है। पैतृक सम्पत्ति संबंधी कथन वाद की विषय वस्तु से भिन्न है। खातेदार को पक्षकार बनाया है वैसे भी पुत्र–पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाने का तथ्य इस प्रार्थना–पत्र की परिधी में नहीं आता है। प्रतिवादी सं0 1 (प्रार्थी) की खातेदारी भूमि होने से उसके विरूद्ध अवैध अन्तरण कर देने के कारण बेदखली हेतु प्रस्तुत वाद लाया जा सकता है।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र में अंकित कथनों का दोहराव करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एन.वी. श्रीनिवास मूर्ति व अन्य बनाम मरियम्मा में दिनांक 11.07.2005 को दिये गये निर्णय प्रति प्रस्तुत करते हुए सी.पी.सी. के आदेश–7 नियम –11 के संबंध में न्यायालय की शक्तियों और कर्त्तव्यों को वर्णित किया साथ ही मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पत्ति नहीं होने के संबंध में संबंधित कानून पेश किया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब व बहस देते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 (4) के परन्तुक संबंधी कथन का एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश–8 नियम–1, सी.पी.सी. का जिक्र करते हुए अपने जवाब में अंकित तथ्यों का दोहराव किया।

बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इसके तहत दावा भू–धारक (तहसीलदार) ही प्रस्तुत कर सकता है, धारा 175 (4) का परन्तुक 175 (4) के साथ ही पढ़ा जाना चाहिए परन्तुक अनुसार सीधे राज्य सरकार से धारित की जाने वाली भूमि के संबंध में तहसीलदार द्वारा आवेदन किये जाने की दशा में न्यायिक फीस देय नहीं होना अंकित है इससे

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

इस धारा अन्तर्गत पेश कर सकता है। अतः प्रार्थी (प्रतिवादी सं.1) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश–7 नियम–11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार इन्द्रगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जांच कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 व 177 के तहत नियमतः कार्यवाही करें। तहसीलदार को विस्तृत तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

प्राथमिक डिकी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

1.अज अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... मुकाम.....लाखेरी.....व इजलास.....श्री युगांतर शर्मा (आर. ए. एस.).....

1 दानिश हनिफी पुत्र जफर मोहम्मद जाति मुस्लिम निवासी 11–बी गुलाब बाग बजरंग नगर कोटा जिला कोटा राज0।

(वादी)

बनाम

1 नजर मोहम्मद पुत्र रहीम बक्ष जाति मुस्लिम निवासी लाल पुलिया के पास स्टेशन रोड लाखेरी तह0 इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
2 उपपंजीयक कार्यलय लाखेरी तह0 इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
3 राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
4 राज0 सरकार जर्ये जिला कलक्टर जिला बून्दी राज0
5 अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका लाखेरी तह0 इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत 175,176,177,178 आर0टी0एक्ट।.....

.....

मुकदमा नम्बर.....72 / दावा / 2022.....सन.....यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू.....हमरे.....व हाजिरी

1.श्री अब्दुल सत्तार एडवोकेट(वादी)..... मिनजानिब मुद्दइ 2.श्री राजेन्द्र जैन एडवोकेट.....

.....

.....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी का वाद–पत्र खारिज किया जाता है।.....निज.....मुबलिग.....

.....बाबत.....खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..19.....माह.....01..... सन...2023.....को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहान		
5.खर्चा गवाहान			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मैजान			मैजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)